कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर एस.बी. सिविल याचिका संख्या 15801/2017 श्री हरिराम बनाम राजस्थान सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.17 में याचिकार्थी को समुचित प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की स्वतन्त्रता प्रदान कर, समुचित प्राधिकारी को अभ्यावेदन प्राप्त होने पर 4 सप्ताह में अभ्यावेदन का निस्तारण करने सम्बन्धी निर्देश प्रदान किये गए।

याचिकार्थी का चयन विभागीय पदौन्नति समिति द्वारा वर्ष 2017–18 के प्रधानाचार्य राउमावि एवं समकक्ष के पदों के विरूद्ध किया गया था और इस कार्यालय के आदेश कमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/डीपीसी 17–18/2017 दिनांक 15.07.2017 द्वारा याचिकार्थी का पदस्थापन जरिए काउन्सलिंग उनके सहमति पत्र के आधार पर प्रधानाध्यापक रामावि मेघडदा–रायपुर पाली से प्रधानाचार्य राआउमावि केरली–रानी, पाली किया गया था जहां याचिकार्थी द्वारा दिनांक 24.07.2017 को कार्यग्रहण कर लिया गया एवं वर्तमान में याचिकार्थी उक्त स्थान पर प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत है।

याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपने पिता की अस्वस्थता, माता के एक ऑख से विकलांग होने तथा अपने पदस्थापन स्थान के घर से करीब 150 किलोमीटर दूर होने जैसी विषम परिस्थितियों के मध्यनजर अपना पदस्थापन पाली जिले में प्रधानाचार्य राआउमावि सबलपुरा–रायपुर अथवा राआउमावि बूटीवास–रायपुर पाली पुनः काउन्सलिंग के जरिए किये जाने की परिवेदना की गई है।

याचिकार्थी की मांग पर विचार किया गया और उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। याचिकार्थी का पदस्थापन वरिष्ठतानुसार जरिए काउन्सलिंग उनकी स्वयं की सहमति के आधार पर किया गया था। याचिकार्थी पहले से ही अपने गृह जिले पाली में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित है इस कारण अपने निवास स्थान के करीब पदस्थापन सम्बन्धी उनकी मांग उचित नहीं है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती। याचिकार्थी द्वारा धारित प्रधानाचार्य एवं समकक्ष का पद राज्य शिक्षा सेवा के राजपत्रित स्तर के अधिकारी का पद है और माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के निर्णय जगमोहन बनाम सरकार प्रकरण के अनुसार राज्य सेवा का पद धारित कार्मिक की सवाऐं राज्य में कहीं पर भी ली जा सकती है। इसी को मध्यनजर रखते हुए याचिकार्थी **श्री हरि राम प्रधानाचार्य राआउमावि केरली –रानी पाली का अभ्यावेदन खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है**। सभी सम्बन्धित सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

कमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/हरिराम/याचिका–15801/2017 दिनांकः 27.02.18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा पाली।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा पाली
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जोधपुर/जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा ।
6 सिस्टम कम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
7. संबंधित संस्था प्रधान ।
8. संबंधित कार्मिक/याचिकार्थी को आदेश की पालनार्थ।
9. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर
कार्यालय आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस बी सिविल याचिका संख्या 15661/2017 श्री विनोद कुमार पन्नू बनाम सरकार प्रकरण में माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.12.17 द्वारा प्रार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त कर तथ्य प्रस्तुत करते हुए एक अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन को विधि अनुसार कन्सीडर कर यथाशीघ्र एक सकारण आख्यात्मक आदेश पारित करते हुए चार सप्ताह के भीतर निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

याचिकार्थी को प्रधानाचार्य एवं समकक्ष पदों की वर्ष 17–18 की रिक्तियों के विरूद्ध आयोजित विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक की कार्यवाही में की गई अनुशंषाओं के आधार पर जरिए काउन्सलिंग उनकी सहमति के आधार पर इस कार्यालय के आदेश कमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/डीपीसी/प्रधानाचार्य/17–18 /2017 दिनांक 16.07.2017 द्वारा राउमावि डोलवार, कहारी, डूंगरपुर में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर पदस्थापित किया गया था जहां श्री पन्नू ने दिनांक 21.07.17 को प्रधानाचार्य पद पर कार्यग्रहण कर लिया और वर्तमान में भी उक्त स्थान पर कार्यरत हैं।

याचिकार्थी द्वारा अपनी माता और छोटे भाई के निधन हो जाने, पिता की लम्बी बीमारी व परिवार का सम्पूर्ण दायित्व याचिकार्थी पर होने की विषम परिस्थिति का हवाला देते हुए अपना पदस्थापन अपने गृह जिले पाली में राआउमावि सबलपुरा पाली, राउमावि बुटीवास, पाली अथवा राउमावि काणेचा करने की परिवेदना अपने अभ्यावेदन में की गई है।

याचिकार्थी की मांग पर विचार किया गया। याचिकार्थी द्वारा चाहे गए पाली जिले के राआउमावि–सबलपुरा, राआउमावि–बूंटीवास में प्रधानाचार्य का पद स्पष्ट रिक्त नहीं है। याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवेदना के आधार पर वर्तमान में ऐसा कोई भी कारण प्रतीत नहीं होता जिससे गृह जिले में पदस्थापित किये जाने की उनकी मांग को उचित ठहराया जा सके। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि गृह जिले में पदस्थापना सम्बन्धी मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती। याचिकार्थी द्वारा धारित प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष का पद राज्य सेवा का पद है। राज्य सेवा का पद धारित कार्मिक की सेवाऐं राज्य में कहीं पर भी ली जा सकती हैं। अतः याचिकार्थी **श्री विनोद कुमार पन्नू, प्रधानाचार्य राउमावि डोलवार कहारी, डूंगरपुर का अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।** सभी सम्बन्धित सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

कमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/विनोद पन्नू/याचिका–15661/2017 दिनांकः 27.02.18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा उदयपुर
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा डूंगरपुर
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा
6. संबंधित संस्था प्रधान
7. संबंधित कार्मिक/अपीलार्थी
8. निजी/रक्षित पत्रावली

27.2.18
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)